न्यायालय :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 17/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :– 08.12.2022
जीसीएमएस **नम्बर :– 2022/308**
प्रार्थी
कमलेश मेहता पुत्र श्री प्रकाशचन्द मेहता, उम्र–वस्यक, जाति मेहता जैन, निवासी –ब्यावर, तहसील–ब्यावर, जिला–अजमेर (राज.)

बनाम

अप्रार्थी
1. तहसीलदार रायपुर

प्रार्थना पत्र वास्ते सीमांकन एवं पत्थरगड्डी अन्तर्गत धारा 111,128 आर एल आर एक्ट

उपस्थित : 1. श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता प्राथी
2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक : 10.01.2023**

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है सरहद मौजा ग्राम धोलीया पटवार हल्का सेन्दडा, भु. अभि. निरी. सेन्दडा, तहसील रायपुर जिला पाली की अतिंम चौसाला आधार सवत् 2076–79 के खाता सं. 48 खसरा सं. 227 रकबा 0.0632 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 237/1 रकबा 0.1016 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 238 रकबा 0.0519 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा खाता सं. 84 खसरा संख्या 237/2 रकबा 0.0497 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भुमि प्रार्थी की खातेदारी भुमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात की जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिसे उक्त प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थना पत्र उपरौक्त भुमि को विवादित आराजीयात के नाम से जाना जाएगा। प्रार्थी की उक्त विवादित भुमि खरीद सुदा कब्जा सुदा खातेदारी भुमि है। जिस प्रार्थी खरीद दिंनाक से काबिज है। प्रार्थी की भुमि पर वक्त सेटलमेन्ट से पुर्व माट कायम की हुई है जिस पर प्रार्थी पत्थर गड्डी करवाकर अपनी भुमि के चारो तरफ जानवरों से बचने के लिए तारबंदी या पक्का निर्माण करवाना चाहता है। जिससे प्रार्थी अपने हिस्से कि भुमि तक तारबंदी या पक्का निर्माण करवाकर खातेदारी भुमि के फायदे ले सके एवं भाविष्य मे पडौसी खातेदारों से होने वाली लडाई–झगडे से बचा जा सकें। इस हेतु प्रार्थी ने तहसीलदार रायपुर को पत्थर गड्डी करवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार रायपुर ने सक्षम अधिकारी से पत्थर गडडी का आदेश लाकर देने की सलाह दी। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रार्थी की खातेदारी भुमि खसरा सं. 238 मे आवागमन हेतु खसरा सं. 963/225 रकबा 0.0538 हैक्टेयर किस्म गै. मु. रास्ता आया हुआ है जो भी मौके पर सही नही है इसलिए

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

प्रार्थी को आवागमन मे परेशानी होती है इसलिए उस रास्ते की सभी दिशाये चिहिन्त करवाये । प्रार्थी ने तहसीलदार रायपुर सीमाज्ञान एवं पत्थर गड्डी का करने का निवेदन करने पर तहसीलदार रायपुर द्वारा न्यायलय से पत्थर गड्डी की आदेश लाकर देने का कहने के कारण कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने कि आवश्यकता उत्पन्न हुई। उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थी को आदेशित किया जावे कि उक्त विवादित भुमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार मौके पर सींमाकन कर सीमाकन अनुसार प्रार्थी की भुमि मे पत्थरगड्डी करवाये जिससे प्रार्थी को भाविष्य मे होने वाले आर्थिक नुकसान से, अप्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारो से लडाई झगडे से बचा जा सकें। उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भुमि ग्राम धोलीया पटवार हल्का सेन्दडा मे होने से श्रीमान के श्रवाणधिकार मे एवं श्रीमान के श्रेत्राधिकार मे है। प्रार्थना पत्र पर नियत न्यायशुल्क पेश है। शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थी की खातेदारी भुमि का सीमाज्ञान करने हेतु तहसीलदार रायपुर आवश्यक पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र मे उन्हे पक्षकार बनाया गया है। जिससे उनकी उपस्थिति मे सीमाज्ञान एंव पत्थर गड्डी कि जा सके। एवं उनके द्वारा कोई आपति हो तो पेश की जा सके। एवं भाविष्य मे विवाद से बचा जा सके। जरिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी काश्त सुदा भुमि सरहद मौजा ग्राम धोलीया पटवार हल्का सेन्दडा, भु. अभि. निरी. सेन्दडा, तहसील रायपुर जिला पाली की जमाबन्दी सवत् 2076–79 के खाता सं. 48 खसरा सं. 227 रकबा 0.0632 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 237/1 रक़बा 0.1016 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 238 रकबा 0.0519 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा खाता सं. 84 खसरा 237/2 रकबा 0.0497 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम खातेदारी भुमि का तथा खसरा सं. 963/225 रकबा 0.0538 हैक्टेयर किस्म गै. मु. रास्ता का नाप चौप कर खेत की सीमा ज्ञात कर व पैमाईश करवाकर उक्त भुमि कि चारो ओर पत्थरगडी करवाया जाने की आवश्यकता होने से सींमाकन एवं पत्थर गड्डी करवाने का आदेश फरमाये, ताकि भाविष्य मे मौके पर शाति व्यवस्था बनी रहै। पत्थर गडडी एवं सीमांकन के समय अगर आवश्यकता होने पर पुलिश प्रशासन भी उपलब्ध करवाये। जिसका हर्जा खर्चा राज. सरकार द्वारा निर्धारित राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करने हेतु तैयार एवं वचनबद्व रहेगें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरियें नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र में सरहद मौजा ग्राम धोलीया पटवार हल्का सेन्दडा, भु. अभि. निरी. सेन्दडा, तहसील रायपुर जिला पाली की अतिंम चौसाला आधार सवत् 2076–79 के खाता सं. 48 खसरा सं. 227 रकबा 0.0632 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 237/1 रकबा 0.1016 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 238 रकबा 0.0519 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा खाता सं. 84 खसरा संख्या 237/2 रकबा 0.0497 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम पर फसल को नुकसान से बचाने एवं आस पडौस मे कब्जा धारी से अपनी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

भूमि को बचाने हेतु नियमानुसार सींमाकन शुल्क जमा करवाकर एवं पत्थरगड्डी करने हेतु निवेदन किया हैं।

बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी की सरहद मौजा ग्राम धोलीया पटवार हल्का सेन्दडा, भु. अभि. निरी. सेन्दडा, तहसील रायपुर जिला पाली की अतिंम चौसाला आधार सवत् 2076–79 के खाता सं. 48 खसरा सं. 227 रकबा 0.0632 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 237/1 रकबा 0.1016 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 238 रकबा 0.0519 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा खाता सं. 84 खसरा संख्या 237/2 रकबा 0.0497 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं जो राजस्व नक्शे में तरमीम हो रखी हैं एंव अपने स्वामित्व की भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने का विधिक अधिकारी हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने नियमानुसार सीमांकन शुल्क जमा करवाने एवं सीमांकन कर पत्थरगढी करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की हैं। अतः प्रार्थी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन शुल्क प्राप्त कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम धोलीया पटवार हल्का सेन्दडा, भु. अभि. निरी. सेन्दडा, तहसील रायपुर जिला पाली की अतिंम चौसाला आधार सवत् 2076–79 के खाता सं. 48 खसरा सं. 227 रकबा 0.0632 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 237/1 रकबा 0.1016 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा सं. 238 रकबा 0.0519 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा खाता सं. 84 खसरा संख्या 237/2 रकबा 0.0497 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि में एवं खसरा नम्बर 963/225 रकबा 0.0538 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता का बाद विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को इस आदेश के साथ प्रेषित की जावें कि उक्त भूमि का सीमांकन शुल्क प्राप्त कर स्वयं मौके पर उपस्थित होकर नियमानुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी करवाई जावें एवं मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)